संख्या-21/2018/ 393/अड़तीस-9-2018-500(8)/2018

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 03 जुलाई, 2018**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों के प्रस्तर-1.2, 3.8, एवं 6.3 में निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में दी गयी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संशोधन/प्रतिस्थापन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
वर्तमान व्यवस्था	**एतदद्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित व्यवस्था**
प्रस्तर-1.2 मा0 विधान मण्डल के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक आवंटन की सीमा (रू0 1.50 करोड़) तक कार्यों की अनुशंसा करें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा दिशा-निर्देशों में दिये गये प्राविधानों एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन हेतु स्थापित कार्य विधि के अनुसार अनुमन्य स्वीकृत कार्यों को कार्यान्वित करायेंगे।	**प्रस्तर-1.2** विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु रू0 2.40 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होगी। उक्त उपलब्ध धनराशि रू0 2.40 करोड़ में से मा0 सदस्य की अनुशंसा पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान रू0 2.00 करोड़ तक के ही कार्यों को स्वीकृत करेंगें। अवशेष रू0 40.00 लाख की धनराशि से निर्माण कार्यों पर लगने वाले कर (जी0एस0टी0) की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में की जायेगी। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देशों में दिये गये प्राविधानों एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन हेतु स्थापित कार्य विधि के अनुसार अनुमन्य स्वीकृत कार्यों को कार्यान्वित करायेंगे।
प्रस्तर-3.8 इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ रूपये का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए	**प्रस्तर-3.8** इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू0 2.40 करोड़, जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य बदल सकते है, और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहे कुछ भी हो, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरन्तर जारी रखनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला योजना में तैयार किये गये कार्यों की सूची मा0 विधान मण्डल सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे कि जिला योजना में चिन्हित कार्यों में से, जो कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते है, उन कार्यों को कार्यान्वित किये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि सम्बन्धित मा0 सदस्य की अनुशंसा के उपरान्त उपलब्ध करायी जा सके।	भी सम्मिलित है, का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य बदल सकते है, और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहे कुछ भी हो, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरन्तर जारी रखनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला योजना में तैयार किये गये कार्यों की सूची मा0 विधान मण्डल सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे कि जिला योजना में चिन्हित कार्यों में से, जो कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते है, उन कार्यों को कार्यान्वित किये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि सम्बन्धित मा0 सदस्य की अनुशंसा के उपरान्त उपलब्ध करायी जा सके।
<u>प्रस्तर-6.3</u> कभी किसी भी कारणवश मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य परिवर्तित है और यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा कोई भी कार्य अभिज्ञापित नहीं किया गया हो, तो उन पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के सम्बन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित 150.00 लाख रूपये की धनराशि से अतिरिक्त नहीं उपलब्ध होगी।	**<u>प्रस्तर-6.3</u>** कभी किसी भी कारणवश मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य परिवर्तित है और यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा कोई भी कार्य अभिज्ञापित नहीं किया गया हो, तो उन पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के सम्बन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित रू0 2.40 करोड़, जिसमें जी0एस0टी0 की धनराशि भी सम्मिलित है, की धनराशि से अतिरिक्त नहीं उपलब्ध होगी।

2- उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर लगने वाले जी0एस0टी0 के भुगतान के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्ध में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों के प्रस्तर-6.3 के आगे प्रस्तर-6.4 को निम्नवत जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर-6.4

"इस योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यों पर लगने वाले जी0एस0टी0 का भुगतान विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को उनके क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाली धनराशि रू0 2.40 करोड़ से ही प्रत्येक तिमाही में किया जायेगा।"

3- उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों तथा समय-समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2018/393(1)/अट्ठीस-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद (द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी)।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/न्याय विभाग/कार्मिक विभाग/कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा/मा0 सभापति विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
13- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
15- निदेशक, बजट एवं विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
16- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
17- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।